(1)

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 /2018 निगरानी निगरानी 3970/2018/सागर/भू.रा

1. जानकी वाई पत्नि स्व. भगतराम बजाज सिंधी
2. विजय पिता स्व भगतराम बजाज सिधी
3. रवि पिता स्व. भगतराम बजाज सिधी
4. सरिता पुत्री स्व भगतराम बजाज सिधी

सभी निवासीगण संत कंवरराम वार्ड तहसील व जिला सागर म.प्र. ।

..............आवेदकगण

प्राप्त ... दि. 28-6-18
प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 6-7-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 28-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. मनोहरलाल पिता चेतनदास सिधी निवासी संत कंवरराम वार्ड तहसील व जिला सागर म.प्र.
2. म.प्र.शासन

..........अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 के तहत म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 विरूद्ध आयुक्त सागर संभाग सागर के अपील प्रकरण क 432/ 2017–2018 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 16.4.2018 के विरूद्ध ।

28/6/18

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

<u>प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य –:</u>

1. यहकि प्रकरण के संक्षिप्त मे विवरण इस प्रकार है कि उक्त विवादित भूमि नजूल व्लाक 23 मे से प्लाट क 26 कुल 1250 वर्गफुट स्थाई पटटे पर झमटमल को प्राप्त हुई थी झमटमल के दो सन्तान श्री साबूमल एव श्रीमती भानीवाइ जिसने साबूमल की मृत्यु दिनांक 1983 को हो चुकी है। एवं पुत्री श्री श्रीमतीभानी वाई की शादी होकर अपनी ससुराल कटनी केम्प मे रहती है । झमटमल के वारिस साबूमल ने उक्त प्लाट को आवेदकगण को रजिस्टर्ड विकय पत्र से आवेदकगण के पिता भगतराम वल्द टोपनदास सिधी को विकय कर दिया गया जो वर्तमान मे काबिज है!
2. यहकि, अनावेदक मनोहरलाल ने आवेदकगण को बगैर पक्षकार बनाये एक आवेदन पत्र धारा 110 के तहत नजूल अधिकारी जिला सागर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमे आवेदकगण को पक्षकार नही बनाया गया जिस आवेदन पत्र मे उल्लेख किया कि

महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति......

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3970/2018/सागर/भू.रा. जानकीबाई विरूद्ध मनोहरलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-07-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक श्रीमती जानकीबाई के अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन को पूर्व में दिनांक 06-07-2018 को सुना गया । 3. ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-04-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । 4. आयुक्त के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन कर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है आवेदक द्वारा अपील लगभग 17 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई एवं उक्त विवादित आदेश की जानकारी उसे किस प्रकार हुई इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है । अतएव अवधि विधान की धारा 5 के अतंर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र तथ्यहीन होने से निरस्त किया जाता है । 5. आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सीडर सदस्य 16.7.18	